संख्या-119/2017/136/26-3-2017-10(3)/2014

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 01 अगस्त 2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-83 के अंतर्गत जनपद-गोरखपुर, फतेहपुर एवं आगरा में संचालित राजकीय अनुसूचित जाति बालक/बालिका छात्रावासों के भवन मरम्मत कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-665/26-3-2014-10(3)/2014 दिनांक-14.01.2015 के क्रम मे निदेशालय समाज कल्याण के पत्र सं0-1616-17/स0क0/विकास/2016-17, दिनांक-22.12.2016, पत्र सं0-1606-07/स0क0/विकास/2016-17, दिनांक-21.12.2016, पत्र संख्या-807/स0क0/विकास/2016-17, दिनांक-23.08.2016 एवं पत्र स0-1698-99/स0क0/विकास/2016-17, दिनांक-03.01.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राजकीय छात्रावासों/आश्रम पद्धति विद्यालयों की अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि रू0-500.00 लाख (रूपये पॉच करोड़ मात्र) के सापेक्ष निम्नलिखित छात्रावासों के भवन मरम्मत कार्य हेतु अवशेष धनराशि **रूपया-112.58 लाख (रूपये एक करोड़ बारह लाख अठ्ठावन हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0सं0	कार्य का नाम	आंकलित लागत	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि	अवशेष स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	राजकीय अनुसूचित जाति संत रविदास छात्रावास, लाल डिग्गी, गोरखपुर	83.05	41.52	41.53
	राजकीय अनुसूचित जाति जे.आर.एफ. छात्रावास, लाल डिग्गी, गोरखपुर			
	राजकीय अनुसूचित जाति, कौड़ीराम गोरखपुर			
	राजकीय अनुसूचित जाति महिला छात्रावास, उत्तरी हुमॉयूपुर गोरखपुर			
	राजकीय अनुसूचित जाति, बापू छात्रावास, लाल डिग्गी गोरखपुर			

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2	राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास, फतेहपुर	65.14	32.57	32.57
3	जनपद-आगरा में संचालित बालिका छात्रावासों में अधीक्षक आवासों एवं छात्रावास मरम्मत	76.95	38.47	38.48
	योग-	**225.14**	**112.56**	**112.58**

(रूपये एक करोड़ बारह लाख अठ्ठावन हजार मात्र)

(1) प्रश्नगत कार्य हेतु उक्त स्वीकृत धनराशि निर्माण इकाई के साथ एम0ओ0यू0 (अनुबन्ध) कराने के उपरान्त ही आहरित कर प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी। उपर्युक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार एवं शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा।

(3) उक्त प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करा लिया जाये। उक्त धनराशि का आहरण वास्तविक उपयोगितानुसार किया जायेगा। निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नहीं रखी जायेगी।

(4) उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) उक्त प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। उक्त कार्य की मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(6) उपर्युक्त स्वीकृतियों से सम्बन्धित धनराशियां व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी 2017 में निहित निर्देशो/प्रतिबन्धों का अनुपलन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक- ''2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-09 -राजकीय छात्रावासों/ राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण'' के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी 2017 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-119/2017/136(1)/26-3-2017 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद ।

2- प्रधान महालेखाकार(सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद

3- जिलाधिकारी, गोरखपुर, फतेहपुर, आगरा।

4- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

7- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

8- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0।

9- निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।

10-जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर, फतेहपुर, आगरा।

11-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।